



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 10.07.2024

- अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में कानपुर देहात पुलिस की बड़ी सफलता।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को कुछ ही घण्टों के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.07.2024 को थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 284/2024 धारा 103(1)/352/351 बनाम बृजमोहन सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम चतुर निवादा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। जिसमें कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **बृजमोहन सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम चतुर निवादा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात उम्र करीब 22 वर्ष** को कुछ ही घण्टों के अन्दर आज दिनांक 10.07.2024 को समय 10.05 बजे तलाई वाले बाबा के निर्माणाधीन मन्दिर के पास वहद ग्राम मधु निवादा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से हत्या में प्रयुक्त 01 बाका (आलाकत्ल) सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 284/2024 धारा 103(1)/352/351 में धारा 351 के स्थान पर धारा 351(2) का परिवर्तन किया गया तथा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. बृजमोहन सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी ग्राम चतुर निवादा थाना रसूलाबाद कानपुर देहात उम्र करीब 22 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 284/2024 धारा 103(1)/352/351(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलाबाद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 203/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 240/2021 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)घ व 3(1) द एससी एसटी एक्ट थाना रसूलाबाद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 482/2021 धारा 323/504 भादवि थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 664/2021 धारा 323/34/427/504/506 भादवि थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण

1. एक बाका (आलाकत्ल)
2. रक्त रंजित सफेद कुर्ता व सफेद पैन्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार सोलंकी
2. व0उ0नि0 श्री देवनारायण द्विवेदी
3. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह
4. हे0का0 495 सन्तोष कुमार